प्रेस को सूचना नोट
(प्रेस विज्ञप्ति संख्या 96/2024)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
नई दिल्ली

तत्काल प्रकाशन हेतु

भादूविप्रा ने "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024" (2024 का 8) और "दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024" (2024 का 02) जारी किया है।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा आज **"दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024" (2024 का 8)('विनियम" के रूप में संदर्भित) और "दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश ("टीटीओ" के रूप में संदर्भित), 2024" (2024 का 02)** जारी किया गया है। उक्त **विनियम और टीटीओ का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।**

2. भादूविप्रा ने दिनांक 26 जुलाई, 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (टीसीपीआर) की समीक्षा हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया था।

3. इस परामर्श पत्र में विशेष रूप से टैरिफ उपलब्धता के विकल्प, वाउचर की वैधता, वाउचर की कलर कोडिंग और संबंधित हितधारकों यानी उपभोक्ताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के हित में वाउचर के मूल्यवर्ग के मुद्दों को संबोधित किया गया। उक्त परामर्श पत्र पर 21 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

4. **विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:**

I. वॉयस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) अनिवार्य करना, ताकि उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से उनकी आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके और उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिल सके;

II. उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एसटीवी और कॉम्बो वाउचर (सीवी) के लिए वैधता अवधि की सीमा मौजूदा नब्बे (90) दिनों से बढ़ाकर तीन सौ पैंसठ (365) दिन कर दी गई है;

III. ऑनलाइन री-चार्ज की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप में मौजूद वाउचरों की कलर कोडिंग को समाप्त कर दिया गया है।

IV. टीटीओ (50वां संशोधन) आदेश 2012 द्वारा प्रदत्त 10 रुपए मूल्यवर्ग के कम से कम एक टॉप-अप वाउचर के अधिदेश को यथावत रखते हुए, केवल टॉप-अप वाउचर के लिए 10 रुपए मूल्यवर्ग और उसके गुणकों के मूल्यवर्ग को आरक्षित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

5. टीसीपीआर में किए गए संशोधनों के अनुरूप दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एसटीवी और सीवी की परिभाषाओं में संशोधन किए गए हैं।

6. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 और दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 के साथ संलग्न हैं।

7. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री विजय कुमार, सलाहकार (एफ एंड ईए), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advfea1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91 1120907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 23/12/24

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

*****

अतुल कुमार चौधरी/Atul Kumar Chaudhary, ITS
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi